

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail:- pwdtharali@gmail.com

5/360 सेवा में,

दिनांक 3 / /85 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

जनपद चमोली में ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे0 वन भूमि के विषय:-गैर वानिकी कार्यो हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध मे।

इस कार्यालय का पत्रांक सं0 602/36सी0 दिनांक 24.03.2023। सन्दर्भ:-महोदय.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो एवं धनराशि के जमा किये जाने की सूचना सिहत बिन्दुवार अनुपाल आख्या पूर्व में प्रेषित की गई थी। पुनः अनुपालन आख्या बिन्दवार पेषित है

	ालन अख्या बिन्दुवार प्रेषित है-	
क्रम सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पडे स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	दिनांक 05.01.2022 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से रू० 995877.00 की धनराशि जमा करा ली गई है। संलग्न 1 चालान)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन(सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं० 556 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	दिनांक 05.01.2022 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से रू0 995877.00 की धनराशि जमा करा ली गई है। संलग्न 1 चालान)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 धनराशि में यदि बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि जमा करा दी जायेगी।
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5—3/2007—एफ0सी० दिनाक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तर्दर्थ निकाय के लेखा सं0 एस०बी०—25229 कार्पोरेशन बैक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक—11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज—1 लोधी रोड नई दिल्ली'110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैक ड्राप्ट/चेक की छायाप्रति सिहत प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या(जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण	प्रयोक्ता एजेसी को शर्ते मान्य है।

,	अर्थात एन०पी०वी० क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों का उपलब्ध कराया जाना होगा।	एफ0आर0ए0 संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेसी को शर्ते मान्य हैं।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	मान्य है।

संलग्न:- उपरोक्ता नुसार 3.3 व्रक्ति

अधिशासी अभियन्ता ्रिण्खo लो०नि०वि० धराली चमोली

/ 36 सी0 दिनांकित / प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

> अधिशासी अभियन्ता नि0ख0लो0नि0वि0 थराली चमोली।

FORM-II

(for linear projects)

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.981 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Gwaldam to Center School Motor Road. in Chamoli district falls within jurisdiction of Gwaldam State village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.981 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexuretoannexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve regnised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

वमोली

प्रभागीय कनाधिकारी व्यक्तिमध्य का प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate on dated 20.2.2.3.2.19 at time[6.14.1.13....at Chamoli in which application claiming rights in Gwaldam State area measuring 0.981 hect for the Construction of Gwaldam to Center School Motor Road. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.....

Dated:....

(IAS Swati S. Bhadoriya)

(District Magistrate Chamoli)

विना अधिकारी

वमोली

बिजा क्षांच केल्यांच अधिकारी

प्रवानीय कनाश्विकारी बदीनाय यह प्रभाग गोपेश्वर (चनोली)

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :— ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 है0 सिविल, कुल 0.981 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,शहराह्यी......

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनं अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रदेश नदे राज्ञ , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति

अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति
निम्नानुसार है।
1- श्री प्राम्बन्द राम उपजिलाधिकारी भरात्मी उपजिलाधिकारी
2- श्री उन्हार का प्रभागीय वनाधिकारी
3- श्री 1010 सहायक समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य / सिंडिस स्वर्ध
4- श्री स्त्रीभरी काटावरी केंद्री की बीठडीठसीठ क्षेत्र — उवालादभ सदस्य
5- श्री हरे- प्रस्ट जिल्हा बीं बीं शित्र — डाँगरो जी स्वरंप
6— श्रीबी०डी०सी० क्षेत्र ————सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 0.981 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजिनक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

विनोद क्रुमार राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र तहसील जिला चमोमी

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.981 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

> उपखण्ड स्तरीय वन् अधिकार समिति तहसील – थराली जनपद - चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जला चमोली

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील - थराली जनपद - चमोली

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :— ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 है0 सिविल, कुल 0.981 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम ज्यालि प्रमाण-पत्र तहसील – थराली, जनपद – चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग हेतु (0.981 हे0 सिविल, भूमि) अर्थात कुल 0.981 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

पात्र प्राचित आवकारी भूड मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित



दिनांक 22-12-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जनाविभू

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों		हस्ताक्षर
क्रमांक		प्रनाम	gviidiv
7-	महिन भिंह बिंडियारी		1129 162
	र्गा दर्भी		गुगादिवी
3-	पुरुषा द्वी		Rulp
4-	पान बिह्बिरियारी		पानामेह
5-	व्याल सिंह कि हिभारी		Luyal Erech
6-	सुरे-ड सिंह बडियारी		Sigl
7-	इन्ड सिंह बिरधारी	•	liss
	हीय सिंह बडियारी		HSh
	च-ड सिंह बडिपारी		Cel
	ह्रका सिंह बाडियारी		Exaltis.
	धनुली देवी		
12-	क्रदा (सिंह नेगी		
13-	भगाव ती प्रसाद	e	Bhul
14-	रधु गरि मिंह शाह		
15-	वयाल (३२)		Quel



एन॰पी॰वी॰ की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे0 सिविल, कुल 0.981 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

भगान निर्ण खाठ लोठ निर्ण बिए पत्राली (चर्माली)

सहायक अमियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि^

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० थराली, (चमोली)

AGENCY COPY NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds Date: 05-01-2022 PUBLIC WORK Agency Name. DEPARTMENT Application No. 6139862148 1(150)/2020 MoEF/SG File No. UTTARANCHAL Location. TharaliChamoli Address. 995877/-Amount(in Rs) Amount in Words . Nine Lakh Ninety-Five Thousand Eight Hundred and Seventy-Seven Rupees Only NEFT/RTGS to be made as per following details; Beneficiary Name: UTTARANCHAL CAMPA IFSC Code: UBIN0903710 150896139862148 Pay to Account No. challen amount Bank Name & Union Bank Of India Address: Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only After making successful payment, User Agencies ma Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in After making the required payment through ch even after 7 working days, then kindly mail a copy of Email: ch0371@unionbankofindia.com